न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 3 / 2024
जीसीएमएस न0 2024 / 16

1. बापुलाल पुत्र किशना जी जाति तेली आयु 80 वर्ष निवासी रानीखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री शम्भूलाल तेली – अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय :: दिनांक 08.10.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात वाके ग्राम भेमली पटवार हल्का जावदा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० के खाता नं0 11 की आराजी नं० 114 रकबा 0.7600 हे० लगानी 9 रुपये 12 पैसा स्थित हैं, जिसमे प्रार्थी का 1 / 6 हक हिस्सा दज रेकार्ड चला आ रही है, जिनके पुराने आराजी नं0 64 मी रकबा 3 बीघा स्थित हैं। साक्ष्य में नकल जमाबंदीयां व मिलान क्षेत्रफल पेश हैं।

2. वादग्रस्त पुश्तैनी पैतृक आराजीयात जो प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे मे चली आ रही थी वादग्रस्त आराजीयात संवत् 2044–2047 की जमाबंदी खाता संख्या 11 में प्रार्थी का नाम बापु दर्ज चला आ रहा था, परन्तु जमाबंदी रोटेशन संवन् 2052–2055 की जमाबंदी मे राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से प्रार्थी का नाम बापु के बजाए नाथु दर्ज कर दिया, जो राजस्व कर्मचारीयों की गलती की वजह से हुआ हैं। जबकि प्रार्थी का नाम सभी सरकारी पहचान पत्रो व रेकार्ड में बापु लाल पुत्र किशना तेली दर्ज चला आ रहा हैं। इसलिए प्रार्थी नवीन राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम नाथु पिता किशना के बजाए बापु लाल पुत्र किशना तेली दर्ज कर, राजस्व रेकार्ड में तरमीम कर, इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:31:53 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थन पत्र पेश कर निवेदन है ... अधिकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का नाथु पिता किशना के बजाए बापु लाल पुत्र किशना तेली ... कर नवीन राजस्व ... में तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्त किये जाने की कृपा करावें। ताईद मे शपथ पत्र पेश हैं।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सेटलमेन्ट पूर्व की जमाबन्दी सम्वत 2044–47 के खाता संख्या 11 की आ.न. 74 मी रकबा 6–00 वीघा दर्ज रेकार्ड होकर खातेदार श्री उंकार बापु शान्तीलाल पिता किशना तेली 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था। अनग्लक 1
5. जमाबन्दी सम्वत 2052 के खाता संख्या 14 में उक्त भूमि लिपिकीय त्रुटी से श्री उंकार नाथू शान्तीलाल पिता किशना तेली 1/2 हो गया। अनुग्लक 2
6. नवीन भूप्रबन्ध में उक्त आराजी के नवीन नम्बर 114 बने हैं मीलान क्षेत्रफल की प्रति संलग्न है। अनुग्लक –3
7. आगामी रेकार्ड मे भी इसी प्रकार नाम चलता रहा एंव नवीन रेकार्ड में भी यही नाम चलता रहा। अनुग्लक 4–5
8. नवीन जमाबन्दी सम्वत 2077–80 के खाता संख्या 11 में दर्ज आ.न. 114 रकबा 0.76 भी नाथू पिता किशना 1/6 तेली दर्ज रेकार्ड है। अनुग्लक 6
इस प्रकार उक्त त्रुटि लिपीकीय त्रुटि होना जाहिर आया है। अतः प्रस्तुत शपथपत्र एंव रेकार्ड अनुसार ग्राम भेमली के खाता संख्या 11 में दर्ज खातेदार श्री नाथु पिता किशना के बजाय बापूलाल पिता किशना तेली किया जाना उचित है।

5. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> *136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties*

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:31:53 IST
Reason: SelfAttested

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बावत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम

दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

9. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है वादग्रस्त आराजियात संवत् 2044–2047 की जमाबंदी खाता संख्या 11 में प्रार्थी का नाम बापु दर्ज चला आ रहा था, परन्तु जमाबंदी रोटेशन संवन् 2052–2055 की जमाबंदी मे लिपिकीय त्रुटि की गलती की वजह से प्रार्थी का नाम बापु के बजाए नाथु दर्ज कर दिया जिसे प्रार्थी का नाम नाथु पिता किशना के बजाए बापु लाल पुत्र किशना तेली तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम भेमली पटवार हल्का जावदा तहसील निम्बाहेडा की आराजी संख्या 114 रकब 0.7600 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी नाथु पिता किशना जाति तेली सा. रानीखेडा खातेदार के बजाए बापू लाल पिता किशना जाति तेली सा. रानीखेडा खातेदार दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त प्रस्तावित मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम की जावें। शेष खाता बदस्तुर रहेगा । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचोली)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:31:53 IST
Reason: SelfAttested